संख्या-51/2021/1737ई-2/तेरह-2021-229885

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारीअनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक 10 सितम्बर, 2021

विषयः-मे. डालमिया चीनी मिल्स, (आसवनी इकाई) यूनिट-निगोही, जनपद शाहजहांपुर को शीरे के अतिरिक्त केन जूस/शुगर सीरप से एथनॉल का उत्पादन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-37/दो-प्रा.डी.-194, दिनांक 26-08-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र दिनांक 26-08-2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मे. डालमिया चीनी मिल्स, (आसवनी इकाई) यूनिट-निगोही, जिला शाहजहांपुर को शीरे के अतिरिक्त केन जूस/शुगर सीरप से एथनॉल का उत्पादन किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा उत्तर प्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शीरे के साथ-साथ केन जूस/ सीरप से भी एथनॉल निर्माण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 01-04-2021 द्वारा जिन शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ गन्ने के रस एवं शुगर सीरप से सीधे एथनाल/अल्कोहल उत्पादन करने हेतु अनापत्ति इकाई को निर्गत की गयी है, का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा शासनादेश दिनांक 23-02-2021 में उल्लिखित प्राविधानों एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों/नियमों का अनुपालन कर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)

उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in